


प्रकरण सं० ..... अनवान .....

**Continuation Note Sheet**

15-1-19

वकील उद्यपक्ष उपस्थित पत्रावली का अवलोकन किया बाद अवलोकन पाया कि प्रकरण से सम्बन्धित मूल वाद श्वारिज है चुका है अतः इस पत्रावली में कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं है के कारण प्राथमिक पत्र 212/R.T.A को भी वर्तमान बन्तर पर श्वारिज किया जाता है पत्रावली नम्बर से काग की जाकर बाद तकासील अ रिबल रपट होकर मूल संख्या 156/2018 के साथ संलग्न है।

  
(सौरभ कुमार)  
उपबन्ध अधिकारी (रिजाल)  
श्रीगंगानगर

*[Faint, illegible text, likely bleed-through from the reverse side of the page]*